



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 14.05.2026

थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित पंजीकृत अभियोग में फरार चल रहे 15,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, दिनांक 10.01.2026 को अभियुक्तगण 1. मो० जुबेर अंसारी पुत्र मो० रिजवान उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी 98/179 गोरा कब्रिस्तान बेकनगंज थाना बेकनगंज जनपद कानपुर नगर 2. आसिफ पुत्र शकील निवासी 98/179 मोहम्मदी अस्पताल के पास रेल पटरी बेकनगंज थाना बेकनगंज जनपद कानपुर नगर को 100 किग्रा० गोमांस के साथ, स्कूटी जिसका नम्बर UP 78 JH 1282 से ले जाते हुये पकड़ा गया था । जिसके संबंध में पूछने पर अभियुक्तों ने बताया गया कि जो गोमांस हमारी स्कूटी संख्या UP 78 JH 1282 से मिला है, उसको मैं और मेरा साथी आसिफ पुत्र शकील निवासी 98/179 मोहम्मदी अस्पताल के पास रेल पटरी बेकनगंज थाना बेकनगंज जनपद कानपुर नगर बिधुना औरैया से लेकर आये थे और कानपुर बेचने के लिये ले जा रहे थे कि रास्ते में हम लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया । कल्लू कुरैशी पुत्र हसीन कुरैशी एवं जुनैद दोनों बेकनगंज जनपद कानपुर नगर के रहने वाले हैं और यह स्कूटी भी कल्लू कुरैशी की है, उन्हीं के कहने से यह गोमांस हम लोग उनके बताये हुए व्यक्ति जिसका नाम हम नहीं जानते, जिसका मोबाइल नम्बर हमारे पास है, जो कल्लू कुरैशी और जुनैद का परिचित है, उससे हमारी बातचीत हुई थी, परन्तु उसने अपना नाम नहीं बताया था। उसी के साथ मिलकर गाय काटकर बेचने के लिए बिधुना से लेकर आये थे, जिसे ले जाकर कल्लू कुरैशी और जुनैद को देते हैं और वे दोनों मिलकर इस गोमांस को महंगे दामों में बेचते है तथा हम लोगों को अपना हिस्सा मिल जाता है।

अभियुक्तगण से बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना शिवली पर मु०अ०सं० 017/2026 धारा 3/5/8 उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम बनाम 1. मो० जुबेर अंसारी पुत्र मो० रिजवान निवासी 98/179 गोरा कब्रिस्तान बेकनगंज थाना बेकनगंज जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 30 वर्ष, 2. आसिफ पुत्र शकील निवासी 98/179 मोहम्मदी अस्पताल के पास रेल पटरी बेकनगंज थाना बेकनगंज जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 25 वर्ष, 3. कल्लू कुरैशी पुत्र हसीन कुरैशी निवासी बेकनगंज थाना बेकनगंज जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 25 वर्ष, 4. जुनैद पुत्र अज्ञात निवासी बेकनगंज थाना बेकनगंज जनपद कानपुर नगर करीब 20 वर्ष, 5. 01 मोबाइल नम्बर धारक का नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया । मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण कल्लू कुरैशी उर्फ मो० हसीब उपरोक्त व जुनैद पुत्र मो० मालू निवासी ग्राम 92/172 हीरा मनकापुरवा थाना बेकनगंज जनपद कानपुर नगर द्वारा मा० न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया तथा विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये मोबाइल नं० धारक/प्रयोगकर्ता राजू बंजारा पुत्र लालाराम निवासी ग्राम रामपुर रामसहाय थाना अछल्ला जनपद औरैया घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा दिनांक 07.05.2026 को 15,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया ।

इसी क्रम में थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में फरार चल रहे 15,000 रुपये के ईनामिया अभियुक्त राजू बंजारा पुत्र लालाराम निवासी ग्राम रामपुर रामसहाय थाना अछल्दा जनपद औरैया उम्र 20 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर भवान नहर पुल से केशरी निवादा जाने वाले मार्ग पर करीब 50 मीटर की दूरी पर दिनांक 13.05.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता –

15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजू बंजारा पुत्र लालाराम निवासी ग्राम रामपुर रामसहाय थाना अछल्दा जनपद औरैया उम्र 20 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह
2. उ०नि० श्री शिवेन्द्र कुमार वर्मा
3. हे०का० 229 मोहित कुमार
4. का० 945 अभिषेक
5. रि०कूट म०का० 1392 ज्योति